प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 2300/2017

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक 28/02/2025

आदेश पारित करने का दिनांक 18/03/2025

जीतू राम यादव पिता बेचूराम यादव, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी– बरतीकला, चंदोरा, सूरजपुर, जिलाः सूरजपुर (छ.ग.)

––– याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: मुख्य सचिव गृह (पुलिस), महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
2. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य, गृह विभाग (पुलिस), रायपुर, पुलिस मुख्यालय, जिला रायपुर (छ.ग.)
3. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा, जिला सरगुजा (छ.ग.)
4. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

–––उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता सह श्री कबीर कलवानी, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण/राज्य की ओर से	: श्री रूहुल अमीन, पैनल अधिवक्ता

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल

सीएवी आदेश

1. इस याचिका के आधार पर याचिकाकर्ता ने आदेश(अदिनांकित)/अनुलग्नक (पी–1) की वैधता एवं औचित्यता को प्रश्नगत किया है, जिसके अन्तर्गत उत्तरवादी क्रमांक 2– पुलिस महानिदेशक ने पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज तथा पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर द्वारा पारित दिनांक 30.07.2016 (अनुलग्नक पी–2) एवं 10.06.2016 (अनुलग्नक पी–3) के आदेश की पुष्टि करते हुए, आरक्षक के पद से याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति को यथावत रखते हुए दया याचिका को खारिज कर दिया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में यह हैं कि याचिकाकर्ता, जिसकी दिनांक 04.01.2007 को आरक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी, को भीमराज यादव, जो उसका जीजा था, के साथ अपराध क्रमांक 40/2013

के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 व 420 के अधीन साकेत तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया था और साथ ही याचिकाकर्ता जीतू यादव के विरुद्ध विभागीय जांच गठित की गई है, चुँकि वह आरक्षक के पद पर नियुक्त होने में सफल रहा था,उसने स्वयं को वास्तविक जीतू यादव पिता बेचूराम यादव, निवासी– ग्राम ढोंढा, थाना चंदोरा प्रतिरुपित करते हुए तथा उसकी शैक्षिणिक प्रमाण पत्र का उपयोग करके पुलिस विभाग में नियुक्ति प्राप्त की थी।

3. याचिकाकर्ता और उसके जीजा (भीमराज यादव) को दाण्डिक अपील क्रमांक 08/2015 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर द्वारा दिनांक 02.05.2015 (अनुलग्नक पी–7) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 व 420 के अंतर्गत कथित दण्डनीय अपराध के संबंध में दोषमुक्त कर दिया गया था, जबकि दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 243/2013 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर द्वारा दिनांक 10.04.2015 (अनुलग्नक पी–6) को दी गई उनकी दोषसिद्धि को पलट दिया गया था, तथापि दिनांक 05.09.2013 को गठित विभागीय जांच में उन्हें उपरोक्त दर्शित आदेशों के आधार पर उक्त पद से हटाने का निर्देश दिया गया है तथा, व्यथित होकर वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि याचिकाकर्ता पर उन्हीं आरोपों के संबंध में अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसने स्वयं को वास्तविक जीतू यादव के रुप में प्रतिरुपित करते हुए कथित नियुक्ति आदेश प्राप्त किया था और चूंकि उसे अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर द्वारा दिनांक 02.05.2015 (अनुलग्नक पी–7) के निर्णय में उनके अधिकारिता न्यायालय द्वारा कथित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः, उसकी सेवाओं को संबंधित उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा उक्त विभागीय जांच के आधार पर समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था, जो उन्हीं आरोपों के आधार पर प्रारंभ की गई थी। समर्थन में, उन्होंने **जी.एम. टैंक विरुद्ध गुजरात राज्य व अन्य**[1] तथा **राम लाल विरुद्ध राजस्थान राज्य व अन्य**[2] के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णयों का अवलंब लिया।

5. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता को आरक्षक के कथित पद से हटाने के आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है।

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा संपूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

---

1 (2006) 5 SCC 446
2 (2024) 1 SCC 175

7. याचिकाकर्ता जीतू यादव की नियुक्ति आरक्षक के पद पर दिनांक 04.01.2007 को हुई थी और नियुक्ति के दौरान साकेत तिवारी नामक व्यक्ति ने अदिनांकित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आरोप लगाया गया था कि वह वास्तविक जीतू यादव नहीं है, बल्कि भीमराज यादव नामक व्यक्ति है, जो उसका जीजा है और उसने स्वयं को जीतू यादव का प्रतिरुपण कर उसके शैक्षिणिक प्रमाण पत्रों का उपयोग कर विभाग के साथ छल कारित करते हुए उक्त पद पर नियुक्ति प्राप्त की है।

8. उपर्युक्त शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता जीतू यादव एवं भीमराज यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 व 420 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए अभियोग–पत्र दिया गया और साथ ही याचिकाकर्ता जीतू यादव के विरुद्ध विभागीय जांच भी की गई, जिसमें दिनांक 05.09.2013 को आरोप विरचित किए गए।

9. दाण्डिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही में विरचित आरोप उल्लेखनीय हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक कार्यवाही में आरोप:

> "**1**. क्या आरोपी भीमराज ने वर्ष–2006–07 में ग्राम–गणेशपुर थाना–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर में यह जानते हुए कि वह जीतू यादव नहीं है स्वंय को जीतू यादव के रूप में प्रतिस्थापित कर छ 0 ग 0 शासन में पुलिस की नौकरी प्राप्त कर एवं आरोपी जीतू यादव के द्वारा सह–आरोपी भीमराज यादव को नौकरी प्राप्त करने में सहयोग कर प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किये थे ?
>
> **2.** क्या उसी दिनांक समय व स्थान में आरोपी भीमराज यादव के द्वारा जीतू यादव के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर तथ्यों को छिपाते हुए आरक्षक की नौकरी प्राप्त कर शासन को आर्थिक नुकसान कारित कर शासन के प्रति छल कारित किया था तथा आरोपी जीतू यादव के द्वारा यह जानते हुए भी कि आरोपी भीमराज पुलिस की नौकरी हेतु शैक्षणिक रूप से आयोग्य है अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र को उसे देकर अपने स्थान पर उसे प्रतिस्थापित कर प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किये थे ? "

तथा, विभागीय कार्यवाही में आरोप:

आरोप

"आर0 क्र0 629 जीतू यादव द्वारा फर्जी तरीके से अपने रिश्तेदार वास्तविक जीतू यादव आ0 बेचू राम यादव सा0 धोंधा थाना चंदौरा के समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों को अपना बताकर जीतू यादव का प्रतिरूपण कर जीतू यादव के नाम से पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर नौकरी कर अपराधिक कृत्य करना।"

10. उपरोक्त आरोपों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता पर उपरोक्त दोनों कार्यवाहियों में एक जैसे आरोप विरचित किए गए थे, क्योंकि उसने स्वयं को जीतू यादव का प्रतिरुपण कर उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का उपयोग करके पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कथित नियुक्ति प्राप्त की है और इस प्रकार विभाग के विरुद्ध आपराधिक कृत्य किया है।

11. दाण्डिक कार्यवाही में, याचिकाकर्ता जीतू यादव और उनके जीजा भीमराज यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 243/2013 में दिनांक 10.04.2015 के निर्णय के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 व 420 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष किया गया था, परंतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 8/2015 में दिनांक 02.05.2015 के निर्णय के अन्तर्गत दोषमुक्त पाया गया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि समय व्यतीत होने के साथ ही यह निर्णय अपने अंतिमता में आ गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहां तक साकेत तिवारी द्वारा दर्ज कराई गई कथित शिकायत के आधार पर प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी अर्थात नगर पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर ने अपनी रिपोर्ट (प्र.पी.–3) दिनांक 26.03.2016 द्वारा कथित आरोप को साबित पाया है और दिनांक 30.03.2016 को जारी 'कारण बताओ नोटिस' (अनुलग्नक पी–5 का हिस्सा) के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा एक जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कथन किया गया कि चूंकि उन्हें कथित समान आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः उन्हें दोषमुक्त किया जाए। परंतु, पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर ने दिनांक 10.06.2016 के आदेश (अनुलग्नक पी–3) के अधीन, उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर, उसे सेवा से हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह पाया गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को उक्त दाण्डिक कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था, परंतु चूंकि उसे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया था, अतः वह दोषमुक्ति का हकदार नहीं है और इस प्रकार अभिलिखित निष्कर्ष को पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 30.07.2016 के आदेश (अनुलग्नक पी–2) के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में यथावत रखा गया और उसके विरुद्ध प्रस्तुत दया याचिका को पुलिस महानिदेशक द्वारा आक्षेपित आदेश (प्र.पी–1) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया गया।

13. अतः यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता जीतू यादव और उसके जीजा भीमराज यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 और 420 के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में कथित दाण्डिक कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया है, तथापि याचिकाकर्ता को साकेत तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा अपनी शिकायत में लगाए गए समान आरोपों के आधार पर प्रारंभ की गई कथित विभागीय कार्यवाही में दोषी ठहराया गया है। दोनों कार्यवाहियों में मुख्य विवाद्यक यह था कि क्या याचिकाकर्ता जीतू यादव ने स्वयं को असली जीतू यादव बताते हुए आरक्षक के पद पर कथित नियुक्ति प्राप्त की है और इस प्रकार विभाग पर कोई आपराधिक कृत्य किया है या नहीं?

14. उपरोक्त आरोपों को साबित करने हेतु विभाग ने नेमनमूरत पिता बबनराम यादव (अ.सा.–1), रामचंदर पिता जानकी यादव (अ.सा.–2), रामपरीक्षण पिता बबनराम यादव (अ.सा.–3), बरातलाल पिता धनुषधारी सिंह (अ.सा.–4), राम सूरत पिता स्व. राम पति यादव (अ.सा.5),रामगुलाम पिता रामपति यादव (अ.सा.–6), हंसलाल पिता दशरथ (अ.सा.–8),रामकेवल पिता स्व. बाबूलाल (अ.सा.–10) तथा,राजेश सिंह सिसौदिया पिता स्वरामझलक (अ.सा.–12) जिन्हें साकेत तिवारी सहित अन्य लोगों से कथित शिकायत प्राप्त हुई थी, का परीक्षण कराया । यह विचार किया जाना चाहिए कि ये उक्त दाण्डिक कार्यवाही के साक्षी भी थे, जिसमें याचिकाकर्ता और उसके जीजा दोनों को दोषमुक्त कर दिया गया है, जैसा कि ऊपरोक्त अवधारित किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15.अब इस बिन्दु पर यह देखा जाना चाहिए कि जब विभागीय कार्यवाही के पूर्व उपरोक्त साक्षियों का परीक्षण कराया गया था, तो उन्होंने कथित आरोपों का समर्थन नहीं किया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं को वास्तविक जीतू यादव का प्रतिरुपण कर आरक्षक के पद पर कथित नियुक्ति आदेश प्राप्त किया है और यहां तक कि कथित शिकायत दर्ज कराने वाले साकेत तिवारी का भी न तो परीक्षण कराया गया और न ही राजेश सिंह सिसोदिया, जिसने उनसे उक्त शिकायत प्राप्त की, ने उनकी कथित शिकायत पर उनके (साकेत तिवारी) हस्ताक्षर की पहचान की और न ही वह याचिकाकर्ता जीतू यादव और उनके कथित जीजा भीमराज यादव से परिचित थे। इस प्रकार, जांच अधिकारी के समक्ष कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर भी याचिकाकर्ता को यह पाते हुए दोषी ठहराया गया कि चूंकि उसे संदेह के लाभ के आधार पर कथित दाण्डिक कार्यवाही में दोषमुक्त किया गया था, अतः वह उक्त लाभ पाने का हकदार नहीं है। यद्यपि, जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी साक्षियों के कथनों के परिशीलन करने से ज्ञात होता है कि किसी ने भी कथित आरोपों का समर्थन नहीं किया है, फिर भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा दिए गए तर्क को दोहराते हुए याचिकाकर्ता जीतू यादव को दोषी ठहराया है, जबकि उन्होंने साक्षियों के साक्ष्य पर विचार भी नहीं किया कि उन्होंने कथित आरोपों का समर्थन किया है या नहीं। इस प्रकार, आरक्षक के पद से याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त

करने के उत्तरवादी अधिकारियों के निष्कर्ष वस्तुतः बिना किसी साक्ष्य पर आधारित पाए गए हैं एवं अतः ये खारिज किए जाने योग्य है।

16. इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपरोक्त उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता को उसके जीजा के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 व 420 के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में दोषमुक्त कर दिया गया था, जहां, उसने विभागीय कार्यवाही में शामिल होने के कारण कथित आरोपों का सामना किया था, अतः आरोपों के एकसमान समूह के आधार पर उसके दोषमुक्त होने का प्रभाव देखा जाना चाहिए और **जी.एम. टैंक** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के दृष्टिगत उक्त विवाद्यक अब और अधिक अनिर्णीत नहीं है, जिसमें उक्त विवाद्यक पर विचार करते समय, पैरा 30 व 31 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

> "30. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों का अवलंब लिया गया है, वे तथ्यों और विधि के आधार पर भिन्न हैं। इस प्रकरण में विभागीय कार्यवाही और दाण्डिक प्रकरण एक ही तथा समान तथ्यों पर आधारित है और अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण में आरोप और दाण्डिक न्यायालय के समक्ष आरोप एक ही हैं। यह सत्य है कि विभागीय कार्यवाही और दाण्डिक प्रकरण में आरोप की प्रकृति गंभीर है। जांच एवं अन्वेषण के दौरान उसके विरुद्ध एकत्र किए गए साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रारंभ किए गए प्रकरण की प्रकृति और अभियोग–पत्र में दर्शाए गए कारक एक ही हैं। दूसरे शब्दों में, आरोप, साक्ष्य, साक्षी और परिस्थितियां एक ही हैं। वर्तमान प्रकरण में दाण्डिक तथा विभागीय कार्यवाही पूर्व से ही समान तथ्यों जैसे अपीलार्थी के निवास पर की गई छापेमारी, वहां से वस्तुओं की बरामदगी पर ध्यान दे चुकी है या दी गई है। जांच अधिकारी, श्री वी.बी. रावल और अन्य विभागीय साक्षी ही ऐसे साक्षी थे, जिनकी जांच अधिकारी ने की थी, जिन्होंने अपने कथन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित हो चुके हैं। दाण्डिक प्रकरण में भी उन्हीं साक्षियों की जांच की गई और दाण्डिक न्यायालय ने जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन ने अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोप को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया है और अपीलार्थी को अपने न्यायिक निर्णय में इस निष्कर्ष के साथ दोषमुक्त कर दिया कि आरोप साबित नहीं हुआ है। यह भी विचार करने योग्य है कि न्यायिक निर्णय नियमित सुनवाई और पूरजोर तर्कों के पश्चात सुनाया गया था। इन परिस्थितियों में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विभागीय कार्यवाही में दर्ज निष्कर्षों को स्वीकार करना अन्यायपूर्ण एवं अनुचित तथा दमनकारी होगा।

31. हमारे अभिमत में, विभाग और दाण्डिक कार्यवाही में ऐसे तथ्य और साक्ष्य एक जैसे थे, जिनमें कोई जरा भी अंतर नहीं था, अपीलार्थी को सफल होना चाहिए। विभागीय और दाण्डिक कार्यवाही के बीच आमतौर पर दृष्टिकोण एवं साक्ष्य के भार के आधार पर जो अंतर साबित होता है, वह वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होगा। यद्यपि घरेलू जाँच में दर्ज किए गए निष्कर्ष विचारण न्यायालयों द्वारा वैध पाए गए थे, जब बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान कर्मचारी को ससम्मान दोषमुक्त कर दिया गया था, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है और पॉल एंथनी के प्रकरण का निर्णय लागू होगा। अतः हम मानते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।"

17. उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राम लाल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करते हुए, जो दोनों कार्यवाही में समान थे,अर्थात दाण्डिक कार्यवाही सह विभागीय कार्यवाही, समान आरोपों के संबंध में, पैरा 27, 28 व 30 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"27. जो विचार करने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपीलीय न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किया है कि दस्तावेज़ प्र. पी–3 – 8 वीं कक्षा की मूल अंकसूची में, जन्म तिथि स्पष्ट रूप से दिनांक 21.04.1972 दर्शाई गई थी और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज़ या तो पत्र थे या प्रतिरुप प्रमाण पत्र निस्संदेह, अपीलीय न्यायाधीश का कहना है कि यह संदिग्ध हो जाता है कि क्या जन्म तिथि 21.04.1974 थी और अभियुक्त इसका लाभ प्राप्त करने का हकदार था। यद्यपि, हमें जो देखना चाहिए वह है निर्णय का सार। संपूर्ण निर्णय को पठन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अभियोजन के साक्ष्य पर पूर्ण विचार करने के पश्चात तथा अभियोजन द्वारा आरोप साबित करने में दुर्भाग्यपूर्ण रुप से विफल रहने के पश्चात दोषमुक्त किया गया [एस. समुथिरम देखें]

28. निर्णयों में प्रयुक्त "संदेह का लाभ" तथा "ससम्मान दोषमुक्त" जैसे शब्दों को जादूई मंत्र नहीं समझा जाना चाहिए। न्यायालय ऐसी शब्दावली के मात्र प्रयोग से प्रभावित नहीं होगा। वर्तमान प्रकरण में अपीलीय न्यायाधीश ने दर्ज किया है कि मूल अंकसूची

के प्र.पी–3 में जन्म तिथि 21.04.1972 अंकित है तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों द्वारा भी इसे साबित किया गया है। यह निष्कर्ष कि दाण्डिक कार्यवाही में दोषमुक्ति अभियोजन के साक्ष्य पर संम्पूर्ण विचार करने के पश्चात की गई थी तथा अभियोजन आरोप साबित करने में दुर्भाग्यपूर्ण रुप से विफल रहा, इस पर निर्णय के संपूर्ण पठन के पश्चात ही पहुंचा जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निर्णय के सार का परीक्षण करना चाहिए और प्रयुक्त अभिव्यक्ति के स्वरूप पर नहीं जाना चाहिए।

30. हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि अपीलीय न्यायाधीश के निष्कर्ष के बावजूद अनुशासनात्मक कार्यवाही और उस पर पारित आदेशों को यथावत स्वीकार नहीं किया जा सकता। आरोप न केवल समान थे बल्कि एक जैसे थे और साक्ष्य, साक्षी और परिस्थितियाँ सभी एक जैसी थीं। यह एक ऐसा प्रकरण है जहाँ अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए हम अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों को निरस्त करते हैं क्योंकि इन्हें स्वीकार करना अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी होगा। यह प्रकरण जी.एम. टैंक से प्रोद्भूत स्थिति से बहुत मिलता–जुलता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस प्रकरण में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, जहां याचिकाकर्ता, जिस पर दाण्डिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही दोनों में समान आरोपों के संबंध में अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया था और कथित दाण्डिक कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया है,आमने–सामने,विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, जहां किसी ने भी साकेत तिवारी द्वारा लगाए गए कथित आरोपों का समर्थन नहीं किया है, अतः संबंधित उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी–1 से पी–3) किसी भी कल्पना से संपोषणीय अभिनिर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। अतः,यह निरस्त किये जाने योग्य हैं एवं एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

19.परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, यद्यपि, परिस्थितियों की समग्रता को विचार में रखते हुए, मैं उसे बकाया वेतन का 30% देने के लिए इच्छुक हूं।

20. उपरोक्त अवलोकनों सहित, याचिका स्वीकार की जाती है।

वाद–व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं।

सही/–

(संजय एस. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur